कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित	**श्री मृत्युंजय कुमार नारायण, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।**
प्रार्थी	**सर्वश्री गोयल इन्टरप्राइजेज, 228, हापुड़ रोड, गाजियाबाद।**
प्रार्थना पत्र संख्या व दिनांक	**403 / 08, 05.11.2008**
प्रार्थी की ओर से	**कोई उपस्थित नहीं हुआ।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

सर्वश्री गोयल इन्टरप्राइजेज, 228, हापुड़ रोड, गाजियाबाद द्वारा दिनांक 05.11.2008 को उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया, जिसमें उनके द्वारा ' सामान्य रूप से प्रयोग किये जाने वाले टूल्स पर दिनांक 30.09.2008 के पश्चात ' कर की दर स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया है।

2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु प्रार्थी को कई नोटिस भेजी गयी, कोई उपस्थित नहीं हुआ। नैसर्गिक न्याय के हित में पुन: दिनांक 02.01.2014 के लिए नोटिस भेजी गई। उक्त नोटिस की तामीली के उपरान्त भी, कोई उपस्थित नहीं हुआ। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना-पत्र में कहा गया है कि दिनांक 29.09.2008 तक सभी प्रकार के टूल्स उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, भाग-ए के क्रमांक-26 पर अंकित थे जिसे दिनांक 30.09.2008 से विलोपित कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, भाग-ए के क्रमांक-123 पर दिनांक 10.01.2008 से '' Tools, Aari and kanni used by carpenter and masons " की प्रविष्टि है। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, भाग-ए के क्रमांक-40 पर Iron and steel, ...as defined u/s 14 of CST Act, 1956 प्रविष्टि है। केन्दीय बिक्रीकर अधिनियम, 1956 की धारा-14 में Iron and steel की सूची के क्रमांक-09 पर टूल्स निम्न प्रकार अंकित है:-

'' Tools; Alloy and Special steel of any of the above categories. "

प्रार्थी द्वारा पूछा गया है कि क्या उपरोक्त प्रविष्टियों के आधार पर सामान्य टूल्स जिनका प्रयोग मशीनों, कारखानों अथवा आटो रिपेयर आदि के लिए किया जाता है उनकी स्थिति क्या होगी ?

3. उपरोक्त संदर्भ में एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, गाजियाबाद जोन गाजियाबाद द्वारा पत्र संख्या-2976, दिनांक 12.01.2010 से प्रेषित आख्या में कहा गया है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, भाग-ए के क्रमांक-123 पर प्रविष्टि निम्न प्रकार है :-

'' Tools, Aari and kanni used by carpenter and masons "

इसके अतिरिक्त केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम की धारा-14 (IV) (IX) में दी गयी प्रविष्टि निम्न प्रकार है :-

'' Tools; Alloy and Special steel of any of the above categories. "

उपर्युक्त से स्पष्ट है कि सामान्य प्रकार के टूल्स अवर्गीकृत की भॉति 12.5% की दर से करदेय होगा। उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, भाग-ए के क्रमांक-123 पर अंकित टूल्स केवल carpenter

.....2

एवं masons द्वारा प्रयोग किये जाने वाले टूल्स हैं। अत: सभी प्रकार के टूल्स इस प्रविष्टि से आच्छादित नहीं माने जायेंगे। केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम की धारा-14 (IV) (IX) के अन्तर्गत सन्दर्भित प्रविष्टि के सम्बन्ध में सी एस टी बनाम नेशनल लाक स्टोर (1996)-101 एस टी सी-83 (एम.पी.) के वाद में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा Screw-driver, saws and pickaxes को ही उक्त सन्दर्भित प्रविष्टि के अन्तर्गत माना गया है। इससे स्पष्ट है कि सामान्य रूप से प्रयोग किये जाने वाले सभी प्रकार के टूल्स केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम की उक्त प्रविष्टि के अन्तर्गत नहीं आते हैं।

4. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा कहा गया है कि दिनांक 29.09.2008 तक '' टूल्स '' उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, भाग-ए के क्रमांक-26 पर अंकित था तथा 4% की दर से करदेयता थी, किन्तु दिनांक 30.09.2008 के पश्चात उक्त प्रविष्टि विलोपित कर दी गयी। उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसचूी-II, भाग-ए के क्रमांक-123 पर निम्न प्रविष्टि है :-

'' Tools, Aari and kanni used by carpenter and masons "

उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, भाग-ए के क्रमांक-40 पर Iron and steel, ...as defined u/s 14 of CST Act, 1956 प्रविष्टि है। केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम की धारा-14 की उपधारा-(IV) पर अंकित Iron and steel के विवरण में क्रमांक-09 पर वर्णित '' टूल्स '' के अन्तर्गत इसी उपधारा-(IV) के क्रमांक-01 से लेकर 08 तक की categories से सम्बन्धित '' टूल्स '' ही आच्छादित होते हैं। इस प्रकार उपरोक्तानुसार सामान्य रूप के टूल्स, जिनका प्रयोग मशीनों, कारखानों अथवा आटो रिपेयर आदि के लिए किया जाता है, पर उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-I, II, III एवं IV में न आने के कारण उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-V के अन्तर्गत अवर्गीकृत वस्तु की भाँति 12.5% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेयता होनी चाहिए।

5. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों, प्रस्तुत साक्ष्यों, एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, गाजियाबाद जोन गाजियाबाद द्वारा प्रेषित आख्या एवं विधि-व्यवस्था का परिशीलन किया गया। पाया गया कि उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, भाग-ए के क्रमांक-123 पर '' Tools, Aari and kanni used by carpenter and masons " तथा इसी अनुसूची के क्रमांक-40 पर '' Iron and steel, ...as defined u/s 14 of CST Act, 1956 " प्रविष्टि है। केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम, 1956 की धारा-14 की उपधारा-(IV) जो Iron and steel से सम्बन्धित है, में क्रमांक-09 पर वर्णित टूल्स के अन्तर्गत इसी उपधारा के क्रमांक-01 से लेकर 08 तक की categories से ही सम्बन्धित '' टूल्स '' हैं।

इस प्रकार उपर्युक्त दोनों प्रविष्टियों से आच्छादित टूल्स पर ही 4% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेयता होगी। शेष अन्य किसी भी प्रकार के टूल्स पर उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-V के अन्तर्गत अवर्गीकृत वस्तु की भाँति 12.5% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेयता होगी।

6. प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता

.....3

है।

7. उपरोक्त की एक प्रति प्रार्थी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय।

दिनांक 17 जनवरी, 2014

ह0 / 17.01.2014

(मृत्युंजय कुमार नारायण)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।